सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/DEV-1557/JH/8/2023-ESDW-RU--IV दिनांक: 13.05.2025

सेवा में,

श्री उत्कर्ष गुप्ता
उपायुक्त, जिला लातेहार
समाहरणालय भवन,
कार्यालय उपायुक्त,
लातेहार, झारखंड -829206
Email Id: dc-lat@nic.in

विषय: न्यायलय विशेष विनियमन पदाधिकारी,लातेदार न्यायलय वाद सं .01/2021-22 के संबंध में श्रीमती सुरतमनी देवी पति राममिलन सिंह, ग्राम-बरवाडीह, टोला-अहिरपुरवा, थाना-बरवाडीह , जिला-लातेहार, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 26.03.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गए अनुशसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट /की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय

13.5.25

(योगेन्द्र प्रसाद यादव / Y.P.Yadav)
उप सचिव /Deputy Secretary
ईमेल : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती सुरतमनी देवी
पति राममिलन सिंह,
ग्राम - बरवाडीह,
टोला-आहिरपुरवा ,
थाना-बरवाडीह ,
जिला – लातेहार झारखण्ड।

NIC

सत्यमेव जयते
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फा. सं. NCST/DEV-1557/JH/8/2023-ESDW

न्यायलय विशेष विनियमन पदाधिकारी,लातेदार न्यायलय वाद सं. 01/2021-22 के संबंध में **श्रीमती सुरतमनी देवी** (पति - राजमिलन सिंह)और **श्रीमती रीता देवी** (पति - सुरज सिंह), **पता:** ग्राम- बरवाडीह, टोला-अहिरपुरखा, थाना-बरवाडीह, जिला-लातेहार, झारखंड की शिकायत पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग की तिथि एवं समय : 26.03.2025 को 03:40 बजे अपराह्न
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

श्रीमती सुरतमनी देवी और श्रीमती रीता देवी की शिकायत में आरोप है कि 1963 में धनु सिंह (खरवार, अनुसूचित जनजाति) ने जितन कुंवर (चेरो, अनुसूचित जनजाति) को भूमि बेची । उजागिर सिंह ने जितन कुंवर से विवाह कर भूमि पर कब्जा किया, जो सी.एन.टी. एक्ट 1908 के तहत अनुसूचित जनजाति की भूमि के गैर-अनुसूचित जनजाति को हस्तांतरण पर प्रतिबंध के उल्लंघन का प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण शिकायतकर्ताओं ने भूमि का स्वामित्व स्थानांतरण अवैध घोषित करने की मांग की है।

2. आयोग द्वारा उक्त मामले का संज्ञान लेते हुए इस मामले में रिपोर्ट मांगने हेतु जिलाधिकारी, जिला - लातेहार , झारखण्ड को नोटिस दिनांक 20.04.2023 को भेजा गया।
3. आयोग के नोटिस के संदर्भ में जिलाधिकारी, जिला - लातेहार , झारखण्ड से रिपोर्ट दिनांक 16.11.2023 प्राप्त हुई। रिपोर्ट संतोषजनक न पाए जाने पर, आयोग ने 26.03.2025 को सुनवाई निर्धारित की, जिसके लिए तदनुसार सिटिंग नोटिस जारी किए गए।
4. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी, जिला - लातेहार , झारखण्ड की ओर से कार्यपालक दंडाधिकारी, लातेहार आयोग के समक्ष उपस्थित हुए, एंव शिकायतकर्ता भी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है:-

i. मामले में सक्षम पदाधिकारी, विशेष विनियमन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा नियमानुसार आदेश पारित कर मामले का निष्पादन किया जा चुका है। यदि शिकायतकर्ता आदेश से असंतुष्ट है, तो वह अपील दायर कर सकते है। वर्तमान में आयोग से इस मामले में कोई अग्रिम कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

इस मामले की जांच रिपोर्ट आयोग को 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

आशा लकड़ा
22/04/2025
(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्या
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-1557/JH/8/2023-ESDW-RU-IV

Sitting to be held on **26.03.2025 at 03:40 P.M** - न्यायलय विशेष विनियमन पदाधिकारी,लातेदार न्यायलय वाद सं. 01/2021-22 के संबंध में श्रीमती सुरतमनी देवी पति राममिलन सिंह, ग्राम-बरवाडीह, टोला-अहिरपुरवा, थाना-बरवाडीह , जिला-लातेहार, झारखण्ड का अभ्यावेदन।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.			
3	H.R. Meena Research Officer		
4.	Shri Rahul Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
6.			
7.			
8.			
II	**Officers from O/o District Magistrate, District - Latehar**		
1.	Anil Kumar Minj Executive Magistrate	7004262053	[signature]
2.			
3.			
4.			
5.			
III	**Petitioners**		
1.	Absent		
2.			